दिनांक–16.08.2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली बहस आरोप/आरोप विरचन हेतु नियत है। पुकार करायी गयी, पुकार पर अभियुक्तगण विशाल यादव, संदीप यादव उर्फ गोलू यादव एवं राजकुमार यादव उर्फ मुटुन बिहारी यादव जमानत पर रहते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी भी उपस्थित है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित आये। आरोप के बिन्दु मैने पर राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

उभय पक्षो के तर्को को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण **विशाल यादव, संदीप यादव उर्फ गोलू यादव एवं राजकुमार यादव उर्फ मुटुन बिहारी यादव** के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा **3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम** विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग किया।

अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–09.09.2021 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हो। सम्बन्धित थाने के पैरोकार को निर्देशित किया जाता है अभियोजन साक्षीगण को निर्गत समन तामीलशुदा/अदम तामील न्यायालय मे नियत तिथि को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

ए.एस.जे./एफ.टी.सी.–द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश गैग्स्टर ऐक्ट,
चन्दौली।